जा सकती है । एक ही निवेदन है कि जो सरकारी कामकाज है, लेजिस्लेटिव काम है उसकी ओर भी अगर सदन ध्यान देता रहे तो अच्छा है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री टी.एन.चतुर्वेदी) : हम उसी पर जा रहे हैं ।

GOVERNMENT BILL

The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Bill, 2002

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1964.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI A. RAJA : Sir, I introduce the Bill.

The Prevention of Money Laundering Bill, 1999 (Contd.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Now, we resume the discussion on the Prevention of Money Laundering Bill, 1999.

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मनी लांडरिंग बिल पर कल मैंने अपने कुछ विचार रखे और कुछ विचार आज रखने शेष हैं।

मान्यवर, इस मनी लांडरिंग बिल का सीधा-सीधा अर्थ धन शोधन अथवा धोने से है। हम कपड़ों को धुलाई करने के लिए देते हैं तो कपड़ों की लान्ड्री में देते हैं। इसका सीधा-सीधा अर्थ गंदगी को साफ करना है।

मान्यवर, विधि व्यवस्था के विपरीत आचरण करके धन कमाने की जो प्रक्रिया है उसको अपराधिक प्रवृत्ति से धन कमाना कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इसके कई स्वरूप हैं। तरह तरह की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से धन संग्रहीत किया जाता है और उस धन को सही धन के रूप में परिवर्तित करने की जो व्यवस्था है, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह बिल लाया गया है।

मान्यवर, इस बात की पुष्टि इससे होती है कि 23 साल पहले पूरे विश्व के लोगों ने जो विचार रखे, जो सोचा-समझा उसके लिए पेरिस में एक बैठक की। यह बैठक 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, 1989 तक चली। 40 बिंदुओं की उसमें सिफारिश की गयी और मेरे ख्याल से इसके बाद इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 17वें अधिवेशन में 23.12.90 को एक संकल्प एस 17/2 लिया गया और यह 8 से 10 जून, 1990 के दौरान की बैठक में स्वीकार किया गया।